न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कैलाश पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी गोवाकलां तहसील मुण्डवा जिला नागौर		तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 13.10.2023

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2022 सरकार बनाम कैलाश में निर्णय दिनांक 07.09.2022 के तहत मौजा जोधडास की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.01.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण संख्या 07/22 सरकार बनाम कैलाश के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.22 से 07.09.22 तक की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 07.09.22 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, इकरारनामा की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि न्यायालय तहसीलदार मुण्डवा के यहां उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद अपीलांट को यह नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर कर आगामी पेशी दिनांक 03.08.2022 नियत की गई व अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर आगे दिनांक 07.09.22 नियत कर उभयपक्षकार अनुस्थित बताकर अपीलांट के विरूद्व बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया, जिस आदेश दिनांक 07.09.2022 की अपीलांट को जानकारी नहीं थी, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आकर अपीलांट को बेदखल करने की धमकी दी व अपीलांट के विरूद्व तहसील कार्यालय से बेदखली का आदेश होना बताया जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया व नकलो का आवेदन करने पर दिनांक 02.01.2023 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम एकतरफा आदेश की जानकारी होने से उससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई। जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कतई गलत विधि विरूद्व व न्याय के सामान्य सिद्वांतो के विपरीत अपीलांट की पीठ पीछे पारित किया होने से विधि सम्मत नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस आने पर तारीख पेशी दिनांक 06.07.2022 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व निवेदन किया कि उक्त भूमि अंगौर की न होकर आबादी की है व अपीलांट की खरीदसुदा है जिस पर तहसील कार्यालय वालो ने अपीलांट के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा कर यह बताया कि आगामी पेश की सुचना का नोटिस आ जायेगा तब आकर लिखित जवाब व सबूत वगैरा पेश कर देना जिससे अपीलांट जो कि ग्रामीण परिवेश का किसान वर्ग का व्यक्ति है उसी विश्वास में रहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खाली आदेशिका में हस्ताक्षर करवा कर निर्णय में अपीलांट द्वारा

अपर कलक्टर, नागौर

अतिक्रमण करने का तथ्य स्वीकार करने का अंकन मनमर्जी से दर्ज कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

{2}(III)–उक्त भूमि खसरा नम्बर 64 गैर मुमकिन अंगोर की नहीं होकर आबादी की भूमि रही है जिसके संबंध में पटवारी हल्का वगैरा ने किसी प्रकार का नोप चोप किये बिना ही आबादी भूमि को अंगौर की होना बताकर अपीलांट के विरूद्व मिथ्या रिपोर्ट पेश कर दी व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना उसकी पीठ पिछे उसे अतिक्रमी घोषित कर निर्णय पारित करने में भारी कानुनी त्रुटि की है।

{2}(IV)–उक्त भूमि जो पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 64 गे.मु. अंगौर की जायगा होना वताया है जो बिना नाप चोप किये गलत रूप से बताया है जबकि उक्त भूमि गे.मु. आबादी की जायगा है इसके चारों तरफ आबादी बसी हुई है। उक्त जायगा पहले संग्रामसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति चारण निवासी जोधडावास की कब्जासुद स्वामित्व की जायगा थी जिन्होंने दिनांक 19.01.2016 को मुझ अपीलांट को जरिये इकरारनामा बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया व उक्त लिखापढी में बेचानकर्ता ने उक्त भूमि गांव जोधडावास की आबादी में होना व बेचानकर्ता का कब्जा सुद स्वामित्व का प्लोट होना व उसका बेचानकर्ता मालिक होने का तथ्य दर्ज करते हुए अपीलांट के हक में लिखापढी करके कब्जा सुपुर्द किया था तब से अपीलांट का बहैसियत मालिक कब्जा उपयोग उपभोग निरन्तर रहता चला आया है लेकिन हाल ही में कुछ नाराजगी रखने वाले लोगो ने पटवारी हल्का से अपीलांट के विरूद्व सरासर गलत रिपोर्ट तैयार करवा कर पेश करवाई व बिना अपीलांट की विधिवत सुनवाई किये, बिना साक्ष्य लिये ,बिना जिरह आदि का अवसर दिये व बिना पटवारी के बयान लिये अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है अपीलांट सुनवाई से वंचित रहा है उसके विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है मामला केवल नाप चोप का था जिसका सभी की मौजूदगी में नाप चोप किया जाता तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर ऐसा नहीं करके निर्णय जैर अपील आनन फानन में पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा जोधडास में स्थित गै. मु. अंगोर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2022 सरकार बनाम कैलाश में निर्णय दिनांक 07.09.2022 के तहत मौजा जोधडास की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर